



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन 1939 (श०)
(सं० पटना 898) पटना, सोमवार, 25 सितम्बर 2017

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुद्ध मार्ग, पटना

अधिसूचना

11 सितम्बर 2017

सं० 02—विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा-29-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एतद्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम, 1998 (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह विनियमावली बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (संशोधन) विनियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
(2) यह सम्पूर्ण बिहार में लागू होगी।
(3) यह राजपत्र में अधिसूचना निर्गत की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. उक्त विनियमावली, 1998 के विनियम-12(i) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "वरीय न्यायिक सेवा" शब्द "असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोर्ट)" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
3. उक्त विनियमावली, 1998 के विनियम 30 उप विनियम-(4) के खण्ड-(च) में प्रयुक्त शब्द "स्थायी" एतद्वारा विलोपित किया जाता है।
4. उक्त विनियामवली, 1998 के विनियम 39 के उप विनियम-(2) एवं इसके परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "और निरंतर" एतद्वारा विलोपित किये जाते हैं।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सदस्य सचिव,

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार।

The 11th September 2017

No. 02—In the exercise of the powers conferred under section-29-A of Legal Services Authority Act, 1987 (Act no. 39 of 1987), (as amended from time to time) the Bihar State Legal Services Authority hereby makes the following Regulation to amend the Bihar State Legal Authority Regulations, 1998 (as amended from time to time):

1. Short title extent and Commencement.- (1) These Regulations may be called the Bihar State Legal Services Authority (Amendment) Regulations, 2017

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its Notification in the Official Gazette.

2. The words "Superior Judicial Services" used in proviso to the Regulation 12(i) of the said Regulations, 1998 shall be substituted by the words "Civil Judge (Senior Division)".

3. The word "Permanent" used in clause(f) of Sub Regulation (4) of Regulation 30 of the said Regulations, 1998 is hereby deleted.

4. The words "and Continuous" used in Sub Regulation (2) of Regulation 39 and its proviso of the said Regulations, 1998 are hereby deleted.

By order of the Bihar State Legal Services Authority,

Sd/-Illegible,

Member Secretary,

Bihar State Legal Services Authority.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 898-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>